UAPA: अभियोजन मंजूरी में समय-सीमा क्यों जरूरी

प्रकाशन: 22 नवंबर 2026

समाचार-संदर्भ: 22 नवंबर 2026 की नागपुर अदालत संबंधी रिपोर्ट। GS-2: विधि का शासन, न्याय और स्वतंत्र समीक्षा।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

नागपुर की एक विशेष अदालत ने अभियोजन-मंजूरी में समय-सीमा का पालन न होने पर स्वतंत्र पत्रकार और छात्र कार्यकर्ता रेजाज एम. शीबा सिद्दीक को UAPA के अपराधों से उन्मोचित किया है। 22 नवंबर की उपलब्ध समाचार रिपोर्ट के अनुसार मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है: भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 152 और 353(1) के अंतर्गत कार्यवाही जारी है। इसे सभी आरोपों से बरी होना या स्वतः रिहाई नहीं कहा जाना चाहिए।

अभियोजन-मंजूरी का अर्थ

अभियोजन-मंजूरी कुछ अपराधों में अदालत द्वारा संज्ञान लेने से पहले आवश्यक सरकारी अनुमति है। UAPA की धारा 45 के तहत संबंधित अपराधों के लिए मंजूरी से पहले एक प्राधिकरण को जाँच में जुटे साक्ष्य की स्वतंत्र समीक्षा कर अनुशंसा करनी होती है। इसका उद्देश्य आरोप को पहले ही सिद्ध मान लेना नहीं, आगे की न्यायिक प्रक्रिया से पहले कानूनी सुरक्षा-जाँच करना है।

दो अलग सात-दिवसीय चरण

2008 के अनुशंसा और अभियोजन-मंजूरी नियमों में दो समय-सीमाएँ हैं। नियम 3 के तहत प्राधिकरण को जाँच अधिकारी द्वारा जुटाए साक्ष्य मिलने के सात कार्यदिवस के भीतर अपनी अनुशंसा-रिपोर्ट देनी है। नियम 4 के तहत संबंधित सरकार को अनुशंसा मिलने के सात कार्यदिवस के भीतर मंजूरी पर निर्णय लेना है। दोनों की शुरुआत अलग घटना से होती है; इन्हें गिरफ्तारी से गिने जाने वाले एक सामान्य चौदह-दिवसीय नियम की तरह न लिखें।

मूल न्यायिक स्रोत क्या कहता है

सुप्रीम कोर्ट के 23 सितंबर 2024 के फुलेश्वर गोप बनाम भारत संघ निर्णय में धारा 45 और नियम 3-4 का पाठ दिया गया है। निर्णय स्वतंत्र समीक्षा तथा समय-सीमाओं के कठोर पालन पर जोर देता है और अपनी समय-सीमा संबंधी व्याख्या को भविष्यलक्षी बताता है। इस लेख में नागपुर के नए आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं है; उसके मामले-विशेष परिणाम के लिए समाचार रिपोर्ट और सामान्य कानूनी स्थिति के लिए मूल सुप्रीम कोर्ट निर्णय अलग स्रोत हैं।

उन्मोचन और दोषमुक्ति अलग हैं

उन्मोचन का अर्थ किसी आरोप में आगे मुकदमा चलाने की शर्त पूरी न होना हो सकता है; दोषमुक्ति सामान्यतः सुनवाई में दोष सिद्ध न होने के परिणाम से जुड़ी है। वर्तमान रिपोर्ट में UAPA के आरोप आगे न बढ़ने के बावजूद BNS की कार्यवाही बनी हुई है। इसलिए प्रक्रियागत राहत को सभी कथित घटनाओं पर अंतिम निर्दोषता या तत्काल जमानत का निष्कर्ष नहीं बनाना चाहिए। आरोप स्वयं भी दोषसिद्धि नहीं हैं।

सुरक्षा और अधिकार साथ क्यों

राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में प्रभावी जाँच जरूरी है। साथ ही स्वतंत्र समीक्षा और तय समय में निर्णय कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। समय-सीमा जाँच पूरी करने की समूची अवधि नहीं है; यह जुटे साक्ष्य पर समीक्षा और मंजूरी के विशेष चरणों से संबंधित है। बेहतर दस्तावेजीकरण, समय पर फाइल भेजना और कारणयुक्त स्वतंत्र निर्णय सुरक्षा तथा निष्पक्ष प्रक्रिया दोनों को मजबूत कर सकते हैं।

परीक्षा की दृष्टि से

धारा 45, स्वतंत्र समीक्षा और अलग-अलग सात कार्यदिवसीय चरण याद रखें। किसी व्यक्ति के मामले का परिणाम लिखते समय स्रोत की सीमा और शेष आरोपों की स्थिति स्पष्ट करें।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानूनों में स्वतंत्र समीक्षा और समयबद्ध अभियोजन-मंजूरी को केवल तकनीकी औपचारिकता क्यों नहीं माना जाना चाहिए? चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

1. **भूमिका में:** प्रभावी सुरक्षा-व्यवस्था और निष्पक्ष प्रक्रिया को पूरक उद्देश्यों के रूप में रखिए।
2. **मुख्य भाग में:** UAPA धारा 45 तथा नियम 3-4 के अलग चरण समझाइए। स्वतंत्र समीक्षा, समय-सीमा, कारणयुक्त निर्णय और आरोपी के अधिकारों का संबंध बताइए। मामले-विशेष राहत को सर्वांगीण दोषमुक्ति से अलग रखिए।
3. **निष्कर्ष में:** प्रशिक्षण, रिकॉर्ड-प्रबंधन और जवाबदेह निर्णय से कानूनी शर्तों का समय पर पालन सुनिश्चित करने पर जोर दीजिए।

स्रोत

1. Nagpur discharge report,22 November 2026
2. Supreme Court: Fuleshwar Gope v Union of India,23 September 2024

संबंधित पृष्ठभूमि: UAPA और जमानत

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सात कार्यदिवस गिरफ्तारी से गिने जाते हैं?

इन नियमों के लिए नहीं। समीक्षा की अवधि साक्ष्य मिलने से और सरकार की अवधि अनुशंसा मिलने से शुरू होती है।

क्या नागपुर का पूरा मामला समाप्त हो गया?

उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार नहीं। BNS की धाराओं 152 और 353(1) में कार्यवाही जारी है।

क्या नए नागपुर आदेश की मूल प्रति यहाँ सत्यापित है?

नहीं। मामले का परिणाम समाचार रिपोर्ट पर आधारित है; सामान्य नियम और न्यायिक व्याख्या मूल सुप्रीम कोर्ट निर्णय से जाँचे गए हैं।